



## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.14( )शैक्ष.॥/मदसविवि/2018/

दिनांक:

### कार्यालय आदेश

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(406)अकाद/आकाशि/2013-14/950 दिनांक 06 मार्च, 2018 के क्रम में विद्या परिषद की 58 वी बैठक दिनांक 07.06.2018 की अनुशंषा संख्या 11 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 94 वी बैठक दिनांक 30.06.2018 के निर्णय संख्या 05 की अनुपालना में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीट अभिवृद्धि के संबंध में अधिकतम सीटों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

Maximum possible number of seats to be allowed for following courses:-

- All M.Sc. Courses having practical other than Botany, Zoology and Chemistry: 20+10=30 No. of section permitted only one.
- M.Sc. (Zoology, Botany and Chemistry ): 30+10=40 No. of section permitted only one.
- M.Sc. having no practical: 20+20=40 No. of section permitted only one.
- M.A./M.Com : 40+20=60 No. of section permitted only one.

प्राचार्य उक्तानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की संबद्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विश्वविद्यालय से इस हेतु अनुमोदन होने पर ही वे आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बढ़ी हुई सीटों के अनुसार प्रवेश करा सकेंगे।

Dr  
कुलसचिव

क्रमांक:एफ.14( )शैक्ष.॥/मदसविवि/2018/18445-52

दिनांक: 18.7.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे0एल0एन0मार्ग, जयपुर को पत्रांक एफ.4(406) अकाद/आकाशि/2013-14/950 दिनांक 06 मार्च, 2018 के क्रम में।
- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- समस्त सम्बद्धता प्राप्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
- ए0सी0पी0, वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- निजी सचिव-कुलपति, मदसविवि, अजमेर।
- निजी सहायक-कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर।

Dr

उप कुलसचिव (शैक्ष-11)